संoसंo–1/विविध–47/2017– 107(1)व॰

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 19/03/2018

**विषय:–** **राज्य योजनान्तर्गत स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में बिहार कौशल विकास मिशन हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में रु0 1,00,00,000/– (रुपये एक करोड़) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राज्य योजनान्तर्गत स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में बिहार कौशल विकास मिशन हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में रु0 1,00,00,000/– (रुपये एक करोड़) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2– यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17.04.98, 2880/वि0(2), दिनांक–06.05.06 एवं 2938/वि0(2), दिनांक–08.04.08, 326 वि0, दिनांक–02.04.2014, 295वि0 दिनांक–04.03.15 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। बिहार कोषागार संहिता–2011 के प्रावधानों द्वारा विहित प्रक्रियानुसार राशि की निकासी सुनिश्चित की जायेगी।

3– इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2230–श्रम, रोजगार और कौशल विकास–03–प्रशिक्षण–102–प्रशिक्षु प्रशिक्षण–0102–स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में बिहार कौशल विकास प्रशिक्षण, विपत्र कोड–20–2230031020102 अंतर्गत 0102.20.03 प्रशिक्षण व्यय ईकाई में वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत प्रशिक्षण प्रदाता एजेन्सियों से नियमानुकूल प्राप्त विपत्रों का भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6– निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण)–सह–नियंत्री पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन कोषांग, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना नियमानुकूल प्राप्त विपत्रों के भुगतान हेतु आवश्यक स्वीकृत्यादेश निर्गत करेंगे।

7– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8– प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संoसंo–1/विविध–47/2017 के पृष्ठ–08/टि0 पर प्राप्त है।

9– इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

19/3/18

(सच्चिदानन्द चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

क्रमशः

ज्ञापांकः–1/विविध–47/2017– 107(1)ब. /स्वा0, पटना, दिनांक– 19/03/2018

**प्रतिलिपिः**– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिलाधिकारी, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, सचिवलाय कोषागार, विकास भवन, पटना/निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण)–सह–नियंत्री पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन कोषांग, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/कार्यवाह सहायक, बिहार कौशल विकास मिशन कोषांग, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना /लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव–सह–आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1/कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/3/18

सरकार के विशेष सचिव